	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 26, गुरूवार, शाके 1944-जून 16, 2022 *Jyaistha 26, Thursday , Saka 1944- June 16, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, जून 16, 2022

जी.एस.आर.45 :- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं.13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 158 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 में विद्यमान उप-नियम (2ख) के पश्चात् और विद्यमान उप-नियम (3) से पूर्व निम्नलिखित नया उप-नियम (2ग) अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" (2ग) किसी परियोजना के विस्थापितों को किसी विभाग/संस्था/प्राधिकारी द्वारा आवंटित भूमि, जो ऐसे आवंटन के समय पर पंचायत की आबादी भूमि नहीं थी और यदि ऐसी भूमि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंचायत को अंतरित की गयी है, तो पंचायत ऐसे विस्थापितों के पक्ष में ऐसी भूमि का पट्टा जारी कर सकेगी।"

[**संख्या एफ4(4)संशो/नियम/विधि/पंरा/2022/777**]

राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार अग्रवाल,

उप शासन सचिव।

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ
(PANCHAYATI RAJ)
NOTIFICATION

Jaipur, June 16, 2022

G.S.R.45 :- In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Third Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 158.- In rule 158 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, after the existing sub-rule (2B) and before the existing sub-rule (3), the following new sub-rule (2C) shall be inserted, namely:-

"(2C) The land allotted to oustees of any project by any department/institution/authority, which was not abadi land of the Panchayat at the time of such allotment and if such land has been transferred to Panchayat by competent authority, the Panchayat may issue patta of such land in favour of such oustees."

[No. F4(4) AM/Rule/Legal/PR/2022/ 777]
By order of the Governor,

Praveen Kumar Agrawal,
Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.